न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1321–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–2–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 230/2012–13/अपील.

.....

1–प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मदनलाल अग्रवाल,
निवासी पाटनकर बाजार लश्कर ग्वालियर म0प्र0
2–श्रीमती जूली अग्रवाल पत्नि श्री मनोज कुमार अग्रवाल,
निवासी जवाहरगंज डबरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती डोली जैन पत्नि श्री राजीव जैन
निवासी जनकगंज थाने के सामने छत्री बजार,
लश्कर ग्वालियर म0प्र0

.....असल अनावेदक

2–रामरस पुत्र श्री हरज्ञान कुशवाह
3–राजू कुशवाह पुत्र श्री हरज्ञान कुशवाह
कनवासी कर्मा पैट्रोल पम्प के सामने,ए.बी.रोड,
पनिहार तहसील घाटीगॉव जिला ग्वालियर

.....तरतीवी अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री जितेन्द्र स्वामी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 6/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–02–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार पनिहार, घाटीगॉव के समक्ष अनावेदक कमांक 2 व 3 द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पनिहार स्थित भूमि सर्वे कमांक 62/3 रकबा 1.254 हेक्टेयर स्थित है, जिसके भूमिस्वामी कल्याणसिंह, रामरस, प्रहलाद व देवेन्द्र पुत्रगण हरज्ञान कुशवाह के 4/5 समान भाग है तथा राजू पुत्र हरज्ञान सर्वे कमांक 146 रकबा 1.254 हेक्टेयर का भूमिस्वामी है । सर्वे कमांक 105 रकबा 1.254 हेक्टेयर की अनावेदिका कमांक 1 डोली जैन भूमिस्वामी है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/2010–11/अ–3 दर्ज कर दिनांक 25–10–11 को बटांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–6–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–2–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदकगण हितबद्ध पक्षकार है, परन्तु अनावेदिका कमांक 1 द्वारा उन्हें बिना पक्षकार बनाये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य थी, पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है। यह भी कहा गया कि विकेता द्वारा अनावेदिका कमांक 1 को जितनी भूमि विकय की गई है, बटांकन में उतनी ही भूमि उसे प्राप्त होगी, परन्तु अनावेदिका कमांक 1 बटांकन में अधिक भूमि प्राप्त करना चाहती है । तर्क में यह भी कहा गया कि विकेता द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा बटांकन में जितनी भूमि चाही गई है, उतनी भूमि उसके द्वारा कय नहीं की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नामान्तरण

पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करने पर ही हुआ है, अतः विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है क्योंकि तहसीलदार द्वारा अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि विधि का सुस्थापित है कि हितबद्ध पक्षकार को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये ।

(2) अपर तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 2 व 3 पक्षकार थे और आवेदक तहसीलदार के समक्ष पक्षकार नहीं था इसलिये आवेदक को तहसीलदार के बटांकन आदेश के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 व 3 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बंटाकन आदेश पारित करने में अनावेदिका कमांक 1 को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा आदेश पारित करने में सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का अवसर दिया जाना आवश्यक है । संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 2 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि तहसीलदार सभी सहखातेदारों को सूचना तामील करायेगा और आपत्ति के लिये 30 दिवस का समय देगा, परन्तु उक्त नियम का पालन भी तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 2002 आरएन 302 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आदेश पारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि

की जाकर तहसीलदार के समक्ष स्वतंत्र रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अवसर आवेदकगण को दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश इस निगरानी में हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–02–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर